प्रेस विज्ञप्ति

गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर, जिला- ऊधमसिंह नगर (उत्तराखण्ड)

राज्य सूचना आयुक्त ने किया शंकाओं का समाधान

पंतनगर। ११ दिसम्बर, २०१७। पंतनगर विश्वविद्यालय में आज उत्तराखण्ड के राज्य सूचना आयुक्त, श्री राजेन्द्र कोटियाल, ने विश्वविद्यालय के लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं सूचना सहायकों के साथ एक संगोष्ठी की। संगोष्ठी का आयोजन अपराह्न में कृषि महाविद्यालय के सभागार में किया गया, जिसकी अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रो. ए.के. मिश्रा ने की। अपर निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण तथा सूचना का अधिकार के नोडल अधिकारी, डा. ए.के. कर्नाटक के साथ-साथ समन्वयक, सूचना का अधिकार सेल, डा. चेतन सिंह नेगी, भी इस अवसर पर मंचासीन थे।

कुलपति, प्रो. मिश्रा ने इस अवसर पर विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी दी। उन्होंने एशिया के इस प्रथम विश्वविद्यालय की देश से भुखमरी दूर करने एवं खाद्य सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका बतायी तथा कृषि एवं पशुपालन में स्वतंत्रता के बाद से हुई अभूतपूर्व प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय के ८ महाविद्यालयों के ६२ विभागों में लगभग पांच हजार विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। शिक्षण, शोध एवं प्रसार के बारे में भी उन्होंने संक्षिप्त जानकारी दी। प्रो. मिश्रा ने विश्वविद्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ के अंतर्गत ८९३ आवेदन प्राप्त होने तथा १६७ प्रथम अपील की सुनवाई के बारे में भी बताया। कुलपति ने आशा प्रकट की कि श्री कोटियाल विश्वविद्यालय द्वारा अधिनियम के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने के लिए बनाये गये ढांचे में सुधार हेतु आवश्यक सुझाव देंगे, ताकि आवेदकों को विश्वविद्यालय से शीघ्र सूचना प्रदान करने की व्यवस्था को और चुस्त-दुरूस्त किया जा सके।

श्री कोटियाल ने विश्वविद्यालय में आने को अपना सौभाग्य बताते हुए यहां से हुए ज्ञानवर्धन का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम, जो सबसे बड़ा क्रांतिकारी अधिनियम था, वर्ष २००५ से देश में लागू है। उन्होंने इस अधिनियम के प्रचार-प्रसार व सूचना मांगने एवं देने के संबंध में लोगों को अवगत कराने की आवश्यकता जतायी। श्री कोटियाल ने इस अधिनियम की लोक सूचना अधिकारियों से संबंधित कुछ धाराओं यथा, धारा ५.४ व धारा ६.३ का विशेष रूप से वर्णन किया। विश्वविद्यालय द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना देने के लिए बनाये गये ढांचे को और तर्कसंगत व सुगठित करने के लिए उन्होंने शीघ्र सुझाव भेजने का आश्वासन दिया। साथ ही विश्वविद्यालय के अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने हेतु प्रशिक्षण शिविर भी शीघ्र आयोजित करने की उन्होंने मंशा जताई। श्री कोटियाल ने सभी लोक सूचना अधिकारियों से हर हालत में ३० दिन के अंदर सूचना देने के लिए कहा तथा अपीलीय अधिकारियों द्वारा अपीलों का उचित निस्तारण करने का सुझाव दिया, ताकि राज्य सूचना आयोग तक पहुंचने वाली अपीलों की संख्या में कमी हो सकें। इससे पूर्व राज्य सूचना आयुक्त ने विश्वविद्यालय के इस अधिनियम से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा उठाई गयी विभिन्न शंकाओं का विस्तृत समाधान किया।

कार्यक्रम के प्रारम्भ में राज्य सूचना आयुक्त एवं अन्य उपस्थित जनों का डा. कर्नाटक ने स्वागत किया तथा कार्यक्रम का संचालन किया। अंत में डा. नेगी ने सभी को धन्यवाद दिया। पूर्वाहन में श्री राजेन्द्र कोटियाल को विश्वविद्यालय के विभिन्न शोध केन्द्रों व कृषि महाविद्यालय के सूचना केन्द्र का भ्रमण भी कराया गया तथा वहां चल रहे शोध कार्यक्रमों की जानकारी दी गयी।

सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ से संबंधित विशेष जानकारियां देते श्री राजेन्द्र कोटियाल।

श्री राजेन्द्र कोटियाल को कृषि महाविद्यालय के सूचना केन्द्र में जानकारी देते वैज्ञानिक।